

## Case name

State of Maharashtra vs. The Director General of Police and others (1983)

## Case

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की जेलों में बंदियों को कानूनी सहायता देने का नर्देश दिया

## Brief Summary

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला जारी कर महाराष्ट्र सरकार को राज्य की जेलों में सभी कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का नर्देश दिया है, चाहे वे वचाराधीन हों या दोषी ठहराए गए हों। अदालत ने कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य नर्देश भी दिए, जिनमें महिला संदग्धों के लिए पुलिस लॉक-अप का चयन, गिरफ्तार व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना और शहर के सत्र न्यायाधीश द्वारा पुलिस लॉक-अप का औचक दौरा करना शामिल है।

## Main Arguments

अदालत द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के इर्द-गिर्द केंद्रित थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह जो नर्देश जारी कर रही है, वे कैदियों को काफी सुरक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें संभावित यातना और दुरुपयोग से बचाएंगे।

## Legal Precedents or Statutes Cited

अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की धारा 54 का हवाला दिया, जो यातना या दुरुपयोग की शिकायत करने वाले गिरफ्तार व्यक्तियों को चिकित्सा जांच का अधिकार प्रदान करती है।

## Quotations from the court

"हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर हमारे द्वारा दिए गए इन नर्देशों को अक्षर और भावना दोनों में पूरा किया जाता है, तो वे पुलिस लॉक-अप में कैदियों को काफी सुरक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें संभावित यातना और दुरुपयोग से बचाएंगे।"

## Present Court's Verdict

अदालत ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें शामिल हैं:- राज्य की जेलों में सभी कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को नर्देश देना।- महिला संदग्धों के लिए चार या पांच पुलिस लॉक-अप का चयन करना और यह

सुनिश्चित करना कि उनकी सुरक्षा महिला कांस्टेबलों द्वारा की जाए। गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी के आधार और उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना। - गिरफ्तार व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में पर्चे तैयार करना और वितरित करना। - शहर के सत्र न्यायाधीश द्वारा पुलिस लॉक-अप का औचक दौरा करना। - गिरफ्तार व्यक्तियों को यातना या दुर्व्यवहार की शिकायतों के मामले में चकित्सा जांच के उनके अधिकार के बारे में सूचित करना।

## Conclusion

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला महाराष्ट्र की जेलों में कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैदियों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। फैसला कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं।